HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt. No. ...B.. /.932.. Jabalpur, Dated 19th February, 2018
III-1-5/57 Chapter 20 A

Copy of Notification no. **Madhya Pradesh Act No. 27 of 2017 The Court Fees (Madhya Pradesh Amended Act 2017)** published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 1st September 2017. An act further to amend Court - fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh received from Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal, is forwarded to:-

01. The District and Sessions Judge, ...
02. District Judge, (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior.
03. The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
04. The Member Secretary, State Legal Services Authority,C-2, South Civil Lines, Jabalpur.
05. Registrar (J-1)/(J-II)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(I & V)/ (A.W.)/ (Examination and Labour Judiciary)/)(I &V)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
06. P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordship,
07. P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination& ILR)High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
08. P.A. to Director/Additional Director MP State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
09. D.R. Confidential/ Section Officer, Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. Computer Operator, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Server Room Computer for uploading the same in NIC.

For information and appropriate action.

19.2.18
(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR (D.E.)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—भाद्र 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. 14245-199-इक्कीस-अ-(प्रा.).—अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.
३. धारा १३ का संशोधन.
४. धारा १४ का संशोधन.
५. धारा १५ का संशोधन.
६. धारा १६ का संशोधन.
७. धारा २५ का संशोधन.
८. धारा २७ का संशोधन.
९. धारा ३० का संशोधन.

S.O. (R.R.)
DPA ... OSD (Acctt)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक २९ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ सितम्बर, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द "अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" के स्थान पर, शब्द "अपील न्यायालय, अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र, अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४, में, शब्द "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी, फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." के स्थान पर, "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." स्थापित किए जाएं.

धारा १५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १५ में, शब्द "आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है, जो न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के संख्यांक १ के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती.", के स्थान पर, शब्द "आवेदक न्यायालय से प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा, वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिये गये किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संख्यांक १ के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन संदेय होती" स्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ में, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा", के स्थान पर, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा" स्थापित किए जाएं.

७. मूल अधिनियम की धारा २५ में, शब्द "स्टाम्पों" के स्थान पर, शब्द "स्टाम्पों या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण" स्थापित किए जाएं. धारा २५ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २७ में, खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा २७ का संशोधन.

"(क) इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा न्यायालय फीस के भुगतान और उसके प्रतिदाय की रीति;".

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, द्वितीय पैराग्राफ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:— धारा ३० का संशोधन.

"परन्तु जहां न्यायालय फीस, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदत्त की जाती है तो स्टाम्प निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी, भुगतान की वास्तविकता को सत्यापित करेगा और न्यायालय फीस के संदाय से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, कम्प्यूटर में प्रविष्टि को दर्ज करेगा तथा दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक पृष्ठांकन करेगा कि न्यायालय फीस संदत्त हो गई है तथा प्रविष्टि दर्ज की गई है.".

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. 14245-199-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2017

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Central Act No. VII of 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 13.
4. Amendment of Section 14.
5. Amendment of Section 15.
6. Amendment of Section 16.
7. Amendment of Section 25.
8. Amendment of Section 27.
9. Amendment of Section 30.

MADHYA PRADESH ACT

No. 27 OF 2017

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 29th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st September, 2017].

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2017.

Amendment of Central Act No. VII of 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 13.

3. In section 13 of the principal Act, for the words "the Appellate Court shall grant to the appellant a certificate, authorising him to receive back from the Collector the full amount of fee paid on the memorandum of appeal", the words "the Appellate Court shall grant to the appellant a certificate, authorising him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, the full amount of fee paid on the memorandum of appeal" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

4. In section 14 of the principal Act, for the words "grant him a certificate authorizing him to receive back from the Collector so much of the fee paid on the application as exceeds the fee which would have been payable had it been presented before such day", the words "grant him a certificate authorising him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, so much of the fee paid on the application as exceeds the fee which would have been payable had it been presented before such day" shall be substituted.

Amendment of Section 15.

5. In section 15 of the principal Act, for the words "the applicant shall be entitled to certificate from the court authorizing him to receive back from the Collector so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such Court under the second schedule to this Act, No. 1, clause (b) or clause (d)", the words "the applicant shall be entitled to certificate from the court authorizing him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such court under the second schedule to this Act, No. 1, clause (b) or clause (e) or clause (f)" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

6. In section 16 of the principal Act, for the words "the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the Collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint", the words "the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the Collector or by way electronic transfer in such manner as may be prescribed, the full amount of the fee paid in respect of such plaint" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

7. In section 25 of the principal Act, for the words "stamps", the words "stamps or electronic transfer of payment to State Government in such manner as may be prescribed" shall be substituted.

8. In section 27 of the principal Act, clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 27.**

"(a) the manner of electronic transfer of payment of court-fee and refund thereof;".

9. In section 30 of the principal Act, in second paragraph, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:— **Amendment of Section 30.**

"Provided that, where court-fee is paid by electronic transfer of payment, the officer competent to cancel stamp shall verify the genuineness of the payment and after satisfying himself that the court-fee is paid, shall lock the entry in the computer and make an endorsement under his signature on the document that the court-fee is paid and the entry is locked.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.